

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, ईचागढ़।

## आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

अभिलेख सं० :- 02/2022-23

केश का प्रकार :- अतिक्रमण बाध

आदेश की क्रम सं०  
एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर की  
कारवाई के बा  
टिप्पणी  
रा  
सहित

24/08/2022

अनुमंडल पदाधिकारी भाण्डिल के पत्रांक 1143/सा.दिनांक-  
24/8/22 के अनुसार ईचागढ़ प्रखण्ड मन्तव्य क्षेत्रांतर्गत खाता सं०-203  
प्लॉट सं०-1148 एवं प्लॉट सं०-1153 पर भू. अर्जित भूमि  
पर मकान का मुगताय देने एवं उनके नाम से विकास प्रतिष्ठा  
निर्गत किए जाने तथा स्ट्ट निर्माण हेतु अनुदान राशि एवं  
आवासीय सुखों के बदले समतुल्य राशि देने के  
बाबजूद भी मो० कुनीवाल मण्डल पति एवं नवनीकान्त मण्डल  
एवं श्री मोला मण्डल पति एवं नवनीकान्त मण्डल द्वारा  
अर्बेध रूप से झोपडी का निर्माण कर अतिक्रमण किया  
गया है। अनुमंडल पदाधिकारी भाण्डिल द्वारा निर्देश  
दिया गया है कि अर्बेध रूप से निर्मित झोपडी को हटाने  
हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करें। [अभिलेख के साथ  
अनुमंडल पदाधिकारी भाण्डिल का पत्र संलग्न] उक्त के  
आलेख कार्यालय पत्रांक 492 दिनांक 24-8-2022 से  
अर्बेध झोपडी हटाने हेतु मो० कुनीवाल मण्डल एवं मोला  
मण्डल को पत्रांक 1143 परन्तु उनके द्वारा अर्बेध झोपडी  
नहीं हटाया गया।


राजस्व उपनिरीक्षक अंचल निरीक्षक एवं अंचल  
अधीन से प्रतिवेदन प्राप्त करें।

अभिलेख दिनांक 09/09/22 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी  
ईचागढ़।

09/09/2022

अभिलेख उपस्थापित।  
पीछालीन पदाधिकारी मन्तव्य कार्य में व्यस्त।  
अभिलेख दिनांक 16/09/22 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी  
ईचागढ़।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
16/09/2022	<p>अगिलेख उपस्थापित ।  राजस्व उपनिरीक्षक अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का प्रतिवेदन अ प्राप्त ।  अगिलेख दिनांक 23/09/22 को उपस्थापित करे ।</p>	
23/09/22	<p>अगिलेख उपस्थापित ।  पीठासीन पदाधिकारी अन्व कार्य में व्यक्त ।  अगिलेख दिनांक 30/09/22 को उपस्थापित करे ।</p>	
30/09/22	<p>अगिलेख उपस्थापित ।  RDA, C। अंचल अमीन का प्रतिवेदन अ प्राप्त ।  अगिलेख दिनांक 14/10/22 को उपस्थापित करे ।</p>	
14/10/22	<p>अगिलेख उपस्थापित ।  राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का प्रतिवेदन प्राप्त ।  झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2000 की धारा 3 के अधिन मो० कुनीबाल मण्डल प्रति स्व-नवनीकृत मण्डल तथा भीला मण्डल विता स्व-नवनीकृत मण्डल को नोडित निर्गत करे ।  अगिलेख दिनांक 25/10/22 को उपस्थापित करे ।</p>	

*[Signature]*  
16/09/22  
अंचल अधिकारी  
इलाहाबाद ।

*[Signature]*  
23/09/22  
अंचल अधिकारी  
इलाहाबाद ।

*[Signature]*  
30/09/22  
अंचल अधिकारी  
इलाहाबाद ।

*[Signature]*  
14/10/22  
अंचल अधिकारी  
इलाहाबाद ।



आदेश की क्रम सं० एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

नवनीकान्त मण्डल एवं श्री भोल मण्डल पितः स्व०-नवनीकान्त मण्डल द्वारा अर्वाच्य रूप से झोपड़ी का निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को हटाने के आलेख में प्रारंभ किया गया।

उक्त बाद में राजस्व उप निरीक्षक प्रभाषी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जो अभिलेख में संलग्न है। प्रतिवेदनानुसार भी कुनीवाल मण्डल पति स्व०-नवनीकान्त मण्डल एवं भोल मण्डल पितः स्व०-नवनीकान्त मण्डल द्वारा सुवर्णरेखा परिमोक्षा में अधिग्रहित भूमि खता न० 203 प्लॉट न०-1148 एवं प्लॉट न०-1153 कुल रकबा 2.510 भूमि पर घर बना कर अतिक्रमण किया हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी चाण्डल द्वारा प्राप्त हुए एवं राजस्व उप निरीक्षक प्रभाषी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलेख में भी कुनीवाल मण्डल पति स्व० नवनीकान्त मण्डल तथा भोल मण्डल पितः स्व०-नवनीकान्त मण्डल को झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 की धारा 3 के अधिनियमित निर्मित किया गया। चौकीदार के माध्यम से नोटिस वामिल प्राप्त किया गया जिसमें चौकीदार द्वारा स्पष्ट किया गया कि भोल कुनीवाल मण्डल एवं भोल मण्डल द्वारा नोटिस लेने से इनकार किये जाने के कारण नोटिस उठे घर तथा पंचायत भवन में विपदाएं गयी। उक्त नोटिस के आलेख में भोल कुनीवाल मण्डल एवं भोल मण्डल द्वारा किली प्रकार का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त बाद में कार्यालय पत्रांक 632 दिनांक 03-11-2022 तथा पत्रांक 633 दिनांक 03-11-2022 के द्वारा क्रमशः विशेष प्र-अर्जित पदाधिकारी एवं-1 सुवर्णरेखा परिमोक्षा कारभार जमशेदपुर तथा पुनवाज पत्रांक एवं-2 सुवर्णरेखा परिमोक्षा चाण्डल को अधिग्रहण संबंधी कागजात तथा पंचाट प्र-अर्जित स्वतंत्र दरबत दिहानी प्रमाण पत्र तथा विकास पुलिस की गृह अनुदान राशि


आदेश की क्रम सं०  
एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कारवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख  
सहित

एवं गुरखंड के बदले समतुल्य राशि से संबंधित प्रतिवेदन  
कि मांग की गई। जिसके आलेख में विशेष भू-अर्जन  
पदाधिकारी सं०-1 सुवर्णरेखा परिमोजना मानगी,  
जमशेदपुर के पत्रांक 371 दिनांक 07-11-2022 तथा  
पुनर्वास पदाधिकारी सं०-2 स्वर्णरेखा परिमोजना,  
भाण्डिल के पत्रांक 1052 दिनांक 4-11-22 पत्रांक 1071  
दिनांक 07-11-2022 तथा पत्रांक 1090 दिनांक 09-11-22  
के माध्यम से प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त  
हुआ।

आवेदक द्वारा उक्त वाद में किसी प्रकार के दस्तावेज  
उपलब्ध नहीं कराए जाने तथा विशेष भू-अर्जन  
पदाधिकारी सं०-1 सुवर्णरेखा परिमोजना मानगी जमशेदपुर  
तथा पुनर्वास पदाधिकारी सं०-2 सुवर्णरेखा परिमोजना  
भाण्डिल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिक्रमण संबंधित  
कागजात तथा विकास प्रकृतिका गेट अनुदान राशि एवं  
गुरखंड के बदले दिया गया समतुल्य राशि से संबंधित  
प्रतिवेदन राजस्व उपनिरीक्षक प्रभारी अंचल गिरिखंड तथा  
अर्जन द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन से स्पष्ट  
है कि मो० कुनीवाल मण्डल पितृ स्व०-नवनीकान्त मण्डल  
तथा मोला मण्डल पितृ स्व०-नवनीकान्त मण्डल द्वारा  
मौजा रियागढ़ खाता सं०-203 प्लॉट सं०-1148 तथा  
प्लॉट सं०-1153 कुल रकबा 2.510 भूमी पर अवैध  
रूप से घर का निर्माण का अतिक्रमण किया गया है।  
अतः मो० कुनीवाल मण्डल पितृ स्व०-नवनीकान्त  
मण्डल तथा मोला मण्डल पितृ स्व०-नवनीकान्त मण्डल  
को गुरखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम  
2000 की धारा 6 के तहत संबंध अपने स्तर से  
अतिक्रमण घटा लेने हेतु नोटिस निर्गत करें।  
अभिलेख दिनांक 28/12/22 को उपस्थापित करें।

  
12/12/22  
अंचल अधिकारी  
रियागढ़।


आदेश की क्रम सं०  
एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
कारवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख  
सहित


28/12/2022

अभिलेख उपस्थापित।  
धारा 6 के तहत विधेय नोटिस का चर्चिदा के  
माहमम से तामिल प्रतिवेदन प्राप्त चर्चिदा द्वारा  
स्पष्ट किया गया कि मो० कुनीवाल मण्डल एवं मोला  
मण्डल के भाई द्वारा नोटिस प्राप्त किया गया। विधेय  
नोटिस के आलेख में मो० कुनीवाल मण्डल एवं  
मोला मण्डल द्वारा स्वतः अतिक्रमण नहीं हुआ।  
वर्षित प्रमि से अतिक्रमण होने हेतु पण्डाधिकारी  
एवं पराण पुलिस बल (पुरुष एवं महिला पुलिस) की  
प्रतिनिधुक्ति के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डल  
को पत्र भेजा।  
अभिलेख दिनांक 06/01/23 को उपस्थापित करें।

  
अंचल आधिकारी  
इचागढ़।


06/01/2023

अभिलेख उपस्थापित।  
अनुमण्डल पदाधिकारी चाण्डल के जापांड 1813/ल  
दिनांक 28-12-2022 के आलेख में अतिक्रमण होने हेतु  
प्रतिनिधुक्त पण्डाधिकारी से अतिक्रमण होने संबंध  
प्रतिवेदन प्राप्त करें।  
अभिलेख दिनांक 10/01/23 को उपस्थापित करें।

  
अंचल आधिकारी  
इचागढ़।

10/01/2023

अभिलेख उपस्थापित।  
पीठासीन पदाधिकारी जन्म काशी में व्यस्त।  
अभिलेख दिनांक 17/01/23 को उपस्थापित करें।

  
अंचल आधिकारी  
इचागढ़।


आदेश की क्रम सं०  
एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कारवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख  
सहित


17/01/2023

अभिलेख उपस्थापित ।  
दण्डाधिकारी का प्रतिवेदन अप्राप्त ।  
अभिलेख दिनांक 19/01/23 को उपस्थापित करें ।

  
अंचल अधिकारी  
दिनांक 17/01/23


19/01/2023

अभिलेख उपस्थापित ।  
पीठासीन पदाधिकारी अन्य काम में व्यस्त ।  
अभिलेख दिनांक 24/01/23 को उपस्थापित करें ।

  
अंचल अधिकारी  
दिनांक 19/01/23


24/01/2023

अभिलेख उपस्थापित ।  
दण्डाधिकारी का प्रतिवेदन अप्राप्त ।  
अभिलेख दिनांक 02/02/23 को उपस्थापित करें ।

  
अंचल अधिकारी  
दिनांक 24/01/23


02/02/2023

अभिलेख उपस्थापित ।  
दण्डाधिकारी का प्रतिवेदन अप्राप्त ।  
अभिलेख दिनांक 07/02/23 को उपस्थापित करें ।

  
अंचल अधिकारी  
दिनांक 02/02/23

07/02/2023

अभिलेख उपस्थापित ।  
पीठासीन पदाधिकारी अन्य काम में व्यस्त ।  
अभिलेख दिनांक 28/02/23 को उपस्थापित करें ।

  
अंचल अधिकारी  
दिनांक 07/02/23


आदेश की क्रम सं० एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में दिप्पनी तारीख सहित


28/02/2023

अगिलेरव उपस्थापित ।  
दण्डाधिकारी का प्रतिवेदन अ प्राप्त ।  
अगिलेरव दिनांक 05/05/23 को उपस्थापित करे ।

  
अंचल अधिकारी  
इलाहाबाद ।


05/05/2023


अगिलेरव उपस्थापित ।  
दण्डाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त  
अगिलेरव उमर दिनांक 09/05/23 को उपस्थापित करे ।

  
अंचल अधिकारी  
इलाहाबाद

09/05/2023

अगिलेरव उपस्थापित ।  
दण्डाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया  
गया दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि  
अतिव्रमण मुक्त कर दिया गया है । अतः अगिलेरव  
कि कारवाई समाप्त कि जाती है ।  
लेखापित

  
अंचल अधिकारी  
इलाहाबाद ।

  
अंचल अधिकारी  
इलाहाबाद ।